न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–55/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/168)

1. रूप सिंह पुत्र बिला राम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नांगल चंदेल, तहसील टहला, जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री ध्रुवसिंह बगडिया एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांक 21.03.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2021 को प्रसारित की गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार भू आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यो एवं शक्तियों के तहत राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा भूमि आवंटन करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसरण में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु आगे की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा अमल में लाई गई तथा नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 तहत आयोजित किए जाने वाले ग्राम शिविरों की सूची नियमानुसार विधायक महोदय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना प्रेषित की गई तथा आवंटित की जाने वाली भूमि की सूची संबंधित पटवारी, पटवार हल्का के द्वारा तैयार की गई तथा जरिए नोटिस कर सूचना पट्ट पर चस्पा कर, व्हाट्सएप के जरिए आवंटन हेतु जनहित की जानकारी में लाया गया, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी को आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुसरण शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उपस्थित रहने हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

सूचित किया गया, सूचना के मुताबिक शिविर में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित आए। भूमि आवंटन शिविर में अपीलार्थी के द्वारा हाल खसरा नम्बर 214/0.20 किस्म बारानी, खसरा नम्बर 233/977 रकबा 1.25 हैक्टयर भूमि को कृषि कार्य हेतु आवंटन करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति ने हल्का पटवारी की पुराने कब्जे की रिपोर्ट देखने के पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन करने की सिफारिश की। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा दिनांक 04.03.2022 को आवंटन पत्र क्रमांकः एल. आर/आवंटन/2021–22/5705 राजकीय पड़त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 214 में से 0.15 हैक्टयर किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 233/977 किस्म बारानी सोयम में से 0.05 हैक्टयर भूमि आवंटित की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया तथा नोटिस के साथ सूची प्रेषित की गई कि आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा निम्न अनियमितताएं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर काफी लम्बे समय विगत 50 वर्षो से अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। इसमें रबि एवं खरीफ की फसल बोई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है किन्तु अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ पारित आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलेक्टर के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी किए गए हैं जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 न्यायालय की हैसियत से पारित किया गया है जो विधिक त्रुटि में आता है एवं नियम विरुद्व है। उन्होने आगे कथन किया है कि वर्तमान खसरा नंबर की कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रतिबंधित श्रेणी में नही आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा पारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय से बाधित नहीं है, ग्राम लोसल सरिस्का वन क्षेत्र की पेरिफेरी में नहीं आता है तथा वन विभाग का इन खसरा नम्बरों से कोई सम्बन्ध में सरोकार नही है। इसलिये वन विभाग की अनापत्ति लेना आवश्यक नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि विपक्षी के द्वारा अपने निर्णय में यह कथन किया है कि आवंटन अधिकारी ने खसरा नम्बर 214, 233/977 में से

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि का आवंटन किया है उसकी सम्वत् 2012, 2020 में गैर मुमकिन राडा थी तथा सम्वत् 2020 में उक्त कृषि भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा दर्ज थी इसलिये उक्त भूमि का आवंटन नही किया जा सकता, यह तथ्य सरासर गलत है क्योंकि सम्वत् 2046 के बन्दोबस्त में सर्वेक्षण के पश्चात् अधिकारियों के द्वारा पूर्व के खसरा नम्बरों से बने नये खसरा नम्बरों की किस्म परिवर्तन कर दी गई थी जो कि विगत 34 वर्ष पूर्व की गई है। किस्म परिवर्तन में अपीलार्थी एवं आवंटन अधिकारी की कोई भूमिका नही रही है। केवल दुराशय की भावना से आवंटन आदेश निरस्त किया गया है जबकि आवंटित खसरा नम्बर के आस–पास भौतिक रूप से कोई भी राडा स्थित नही है तथा ना ही कोई नदी, नाला पूर्व में और वर्तमान में था बल्कि पूर्व में किस्म का इन्द्राज पूर्व के बंदोबस्त अधिकारियों के द्वारा सहवन से किया गया था जिसको सम्वत् 2046 के बन्दोबस्त में अधिकारीओं के द्वारा भूमि की किस्म का परिवर्तन भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात् किया गया जो वर्तमान में जारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी एवं उनके पिताजी व दादाजी के विरूद्ध पिछले 50 वर्षो से सरकार के द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती रही है जिसको वर्ष 2013 में निरस्त कर नियमन की कार्यवाही के लिऐ उप जिलाधीश राजगढ को तहसीलदार के द्वारा प्रेषित किया गया तथा प्रकरण नियमन की श्रेणी में आता है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लम्बे अरसे से चले आ रहे कब्जे के आधार पर नियमन किया जाना चाहिये था परन्तु सरकार के द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत कब्जे की भूमि को अपीलार्थी के पक्ष में नियतित किया गया जिसके संदर्भ में आवंटन पत्र जारी किया जो विधि सम्मत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना, बिना गौर किये, बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है, जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया, प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 को निरस्त फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को बहाल फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जॉच की जाकर जॉच

P.T.O

रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है प्रश्नगत भूमि के आवंटन में आवंटन प्रक्रिया की पूर्ण पालना नही की गई है तथा अपीलार्थी को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन राड़ा दर्ज रिकार्ड होने जो प्रतिबंधित श्रेणी में आने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा दर्ज रिकार्ड है, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि मे प्रयुक्त नही की जा सकती है, गैर मुमकिन नला/पहाड/राडा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है, जॉच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फौलोअप कैम्पों में नही किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिये, जो नही किये गये, आवंटन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नही है, सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुऐ एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो, या नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत प्रमाण उपलब्ध नही है, उक्त आवंटन के सम्बन्ध मे आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।